[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2018

(Income-tax)

S.O. (E). – In exercise of the powers conferred by section 295, read with subclause (ii) of clause (14) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

- (1) Short title, Commencement and application. These rules may be called the Income-tax (Third Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the 1st day of April, 2019 and shall apply to the assessment year 2019-2020 and subsequent assessment years.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 2BB, in sub-rule (2), in the Table, against serial number 10, the entries under columns (2) to (4) shall be omitted;

[Notification No. 1] _/2018/F. No.370142/02/2018-TPL]

(Pravin Rawal) Director (TPL-II)

Note .—The principal rules were published in the Gazette of India vide notification No. S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962, and was last amended by vide notification number G.S.R. 332(E) dated 03/04/2018.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 6 अप्रैल,2018

(आय-कर)

का.आ.(अ)--केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (14) के उपखंड (ii) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2018 है ।
- (2) ये 1 अप्रैल, 2019 को प्रवृत्त होंगे और निर्धारण वर्ष 2019-2020 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होंगे ।
- 2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 2खख के उपनियम (2) की सारणी में, क्रम सं0 10 के सामने स्तंभ (2) से स्तंभ (4) के नीचे की प्रविशिद्यों का लोप किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 📆.. /2018/फा.सं. 370142/02/2018-टीपीएल]

(प्रवीण सवल) निदेशक (टीपीएल-2)

टिप्पण--मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. सं. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अधिसूचना संख्या सा.का.नि.332 (अ), तारीख 03/04/2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।